कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विविध/वो–2/2018/193 दिनांक 07/01/19

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्र प्रभारी के रूप में नियुक्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के क्रम में।

प्रसंग :– विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्रांक–पं.13 (28)सांख्यिकी/2018/6884 दिनांक 31.12.2018

संदर्भ :– प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक–प.13(28) सांख्यिकी/2018/3115–3550 दिनांक 16.07.2018

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को साक्षरता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित साक्षरता केन्द्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्हें साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने तथा संचालित विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में संधारित सामग्री/रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया कि उक्त निर्देशों की क्रियान्विति प्रभावी रूप से नहीं हो पायी है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने मण्डल क्षेत्राधिकार में उक्तानुसार क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें तथा समय – समय पर इस कार्य की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग भी करेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विविध/वो–2/2018/193 दिनांक 07/01/19

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कम विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त पीईईओ विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
10. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी शिविरा अंक में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO), को जरिये ई–मेल उपर्युक्तानुसार पालनार्थ।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा.शि.,राज.,बीकानेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
डॉ0 एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-पंचम, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
:- 0141-2708836 फैक्स नम्बर : 2709025, 2701445
E-mail : dir-lit-rj@nic.in,

साक्षर भारत

क्रमांक पं. 13(28)सांख्यिकी / 2018 / 6884 दिनांक : 31.12.2018

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :— ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्र प्रभारी के रूप में नियुक्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(PEEO) द्वारा साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के कम में।

संदर्भ :—प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक प. 13(28)सांख्यिकी / 2018 / 3115—3550 दिनांक 16.07.18।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के संदर्भित आदेश द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को साक्षरता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन, नियमित मोनिटरिंग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित साक्षरता केन्द्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा उन्हें साक्षरता कार्यकमों की नियमित समीक्षा करने तथा संचालित विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में संधारित सामग्री / रिकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया कि उक्त आदेश की कियान्विति प्रभावी रूप से नहीं हो पायी है।

अतः अपने अधीनस्थ सभी संयुक्त निदेशक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर संलग्न संदर्भित आदेश की कियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : संदर्भित पत्र।

24/12/18
(डॉ. राजेश शर्मा)
आई.ए.एस.
विशिष्ठ शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

कमांक:प.13(28) / सांख्यिकी / 2018 / दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
3. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिले के लोक शिक्षा केन्द्रों का चार्ज ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(PEEO) को हस्तान्तरित करवाना सुनिश्चित करते हुये संदर्भित आदेशानुसार इन केन्द्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करावें एवं इनकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुये प्रगति निदेशालय को भिजवाये।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ0 एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-पंचम, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

:- 0141-2708836 फैक्स नम्बर : 2709025, 2701445

E-mail : dir-lit-rj@nic.in, www.rajliteracy.org

क्रमांक : प–13(28)सांख्यिकी/2018/ 3115-3550 दिनांक : 16-7-2018

आदेश

निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा समय – समय पर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा से संबंधित केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाऐं एवं राज्य मद की योजनाऐं संचालित की जाती रही है। इनमें संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत् शिक्षा, शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण शिविर तथा साक्षर भारत कार्यक्रम आदि योजनाऐं प्रमुख है। ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं का कियान्वयन एवं समन्वयन योजना के प्रावधानों के अनुसार अलग–अलग रूप में होता रहा है।

अब जबकि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों के नियमित संचालन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु पंचायत प्रारम्भिक–शिक्षा अधिकारी (PEEO) कार्यालय की स्थापना कर दी गयी है। साक्षरता निदेशालय भी प्रारम्भिक शिक्षा का ही अंग है, इस संदर्भ में साक्षरता संबंधी योजनाओं एवं कार्यकमों के संचालन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा का दायित्व भी ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को दिया जाकर साक्षरता का प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

अतः पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता संबंधि गतिविधियों की नियमित समीक्षा करे। साक्षरता के कार्यकमों में संधारित सामग्री/रेकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करायें। साक्षर भारत कार्यकम के अन्तर्गत बेसिक साक्षरता से लाभान्वित नव साक्षरों एवं शेष वंचित असाक्षरों का रिकॉर्ड भी संधारित करावें। भविष्य में संचालित की जाने वाली साक्षरता संबंधी नवीन योजना के कम में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

(नरेशपाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान

क्रमांक : प–13(28)सांख्यिकी/2018/ 3115-3550 दिनांक : 16-7-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. आयुक्त,राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कम विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
7. उप निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
9. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं बेसिक साक्षरता रिकॉर्ड के संधारण एवं समीक्षा का कार्य सुनिश्चित करावें।
10. विकास अधिकारी, समस्त।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO), को उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
12. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, समस्त।

निदेशक